



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052026-272938
CG-DL-E-29052026-272938

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2026/ज्येष्ठ 6, 1948

No. 370]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2026/JYAISTHA 6, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2026

सा.का.नि. 411(अ).— महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1(च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग), भारत सरकार की दिनांक 26 जून, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 459 (अ.) के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को चैन्ने पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में महापत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य के रूप में नियुक्त करती है:-

क्रम सं.	नियुक्त सदस्य का नाम
1.	श्री एच. माईकल रोबर्ट कैनेडी, टेकनीशियन, (मैके.) एच.एस ग्रेड- II, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, द परिवहन एंड ड्रॉक वर्क्स यूनियन, चैन्ने
2.	श्री एस. आनंद, सहायक अधीक्षक, ट्रैफिक विभाग, मद्रास पत्तन और डॉक कर्मचारी यूनियन (सीआईटीयू)

2. बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अधीन होगी। यह नियुक्ति, चेक-ऑफ की वैधता की तारीख तक, अथवा सदस्यों की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने तक, अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, वैध होगी।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम (भाग-1)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(PHRD Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2026

G.S.R. 411(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section 1 (f) of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) G.S.R. No. 459 (E) dated 26th June, 2023, the Central Government hereby appoints the following persons on the Board of Chennai Port Authority as Members representing the interests of the employees of the Major Port Authority: -

SI. No.	Name of Member appointed
1.	Shri H. Michael Robert Kennedy, Technician (Mech.) H.S Gr. II, Mechanical & Electrical Engineering Dept., The Transport & Dock Workers' Union, Chennai.
2.	Shri S. Anand, Assistant Superintendent, Traffic Dept., Madras Port & Dock Employees' Union (CITU).

2. The appointment of Member of the Board shall be subject to the provisions of the Major Port Authorities Act, 2021. The appointment is valid till the date of validity of check-off, or until the attainment of age of superannuation of the Members, or till further orders, whichever is earliest.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour- Part (1)]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.